पूर्वोत्तर में हेलिकॉप्टर सेवाएं

पूर्वोत्तर के दूरदराज क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने और शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रचालित हैं। । इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में किफायती यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निकासी और तत्काल चिकित्सा निकासी आदि प्रदान करना भी है। इस योजना के तहत, गृह मंत्रालय यात्री वसूली की कुल लागत का 75% या वास्तविक परिचालन लागत का 20%, जो भी अधिक हो, की कटौती के बाद भुगतान करता है। शेष लागत राज्य सरकारें वहन करती हैं। सब्सिडी को सीमित करने के प्रयोजन से, इन राज्यों में हेलिकॉप्टर सेवा के उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा नियत कर दी गई है जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :

पूर्वोत्तर राज्य	**हेलिकॉप्टर के प्रकार**	**स्वीकृत प्रति वर्ष उड़ान घंटों की संख्या**
त्रिपुरा (2002)	डॉल्फिन	480
अरुणाचल प्रदेश (1995)	प्रथम एमआई-172 द्वितीय एमआई-172 बेल 412	960 1200 1300
सिक्किम (1998)	बेल-407	1200
मेघालय (1999)	डॉल्फिन	1000
नागालैंड (2007)	डॉल्फिन	1200
मिजोरम (2012)	डॉल्फिन	1200
मणिपुर (2018)	बेल-412	750

पिछले छह वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष (31.01.2022 तक) पूर्वोत्तर राज्यों में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए व्यय/जारी की गयी निधि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है -

(रु. करोड़ में)

वर्ष	**व्यय/जारी की गयी निधि**
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00
2020-21	72.50
2021-22 (31.01.2022 तक)	77.03

*****